क्रम संख्या–46 (ख) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 24 अप्रैल, 2023 ई0

बैशाख 04, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या 116606/VIII/23–53(श्रम)/2019

देहरादून, 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था और जनजीवन के लिए आवश्यक सम्भरण और नियोजन को बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3(ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं, कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0– 616(1)/VIII/675–श्रम/2002, दिनांक 06.07.2011 सपठित उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0– 5692 (एच0आई0) /36–2–110 (एच0आई0)/77, दिनांक 27.09.1988, जिसके द्वारा राज्य में समस्त वैक्यूम पैन चीनी के कारखानों के कर्मकारों के नियोजन की सेवाशर्तें निर्धारित की गयी है, की उत्तराखण्ड राज्य में लागू रहने की अवधि उसके समाप्त होने की दिनांक अर्थात् 25–09–2014 से दिनांक 24–09–2019 तक तथा दिनांक 25–09–2019 से आगामी 05 वर्ष अर्थात दिनांक 24.09.2024 तक बढ़ाई जाती है।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 श्रम/193–2023–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।